न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 32/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलव

——प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति प्रेमलता पत्नि ओमप्रकाश गुप्ता फर्म एम/एस प्रीति आईस्क्रीम एण्ड फुड जीआई/563 सीतापुरा ईण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर 82–152 चेतक मार्ग प्रतापनगर जयपुर

——विपक्षीगण

कार्यवाही अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)एवं धारा 52 नमूना सं. X-735 आईस केण्डी

उपस्थित– 1 श्रीसंजयसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रार्थी की ओर से
2 श्री ओ.पी. देवानी अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

आदेश

दिनांक 28.06.2019

खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण जयपुर की अपील सं. एफए/0002/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 अनुसार प्रकरण रिमाण्ड कर उभयपक्षों की सुनवाई की जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पुनः सुनवाई हेतु उभयपक्ष को नोटिस जारी किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी की और से विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी द्वारा खाद्य नमूना Ice Candy Brand Dream Bar Orange Omni मिस ब्राण्डेड पाये जाने से विपक्षी ने एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 एंव नियम 2011 कर धारा 51 मे निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में पैक्ड खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग सन्दर्भ में सभी नियमों का उल्लेख किया गया हैं। समस्त पैकेजिंग खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सामग्री पैक करते समय समस्त प्रावधानों का नियमानुसार पालना करना आज्ञाप्रक (Mandatotary) हैं। साथ ही फूड कलर एवं फ्लेवर के संदर्भ में भी लेबल पर लिखने का तरीका एक्ट में वर्णित हैं। जांच रिपोर्ट में भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से उक्त नियम का उल्लघंन किया गया है। प्रार्थी की और से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करने हेतु आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर एफएसएस पैकजिंग एण्ड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नही होता है। जांच रिपोर्ट में नमूना क्यों मिस ब्राण्ड है ? उसके आधार नही बताये है और केवल नमूने के पैकिट पर स्मॉल लेटर्स से लिखी इबारत से कोई भ्रम या गलत रिप्रजेन्टेशन भी पब्लिक को नही होता है एवं न ही मिसब्राण्ड की श्रेणी में आता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के ओमप्रकाश नाटाणी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य क्रिमिनल रिट पिटिशन नम्बर 287/2014 निर्णय दिनांक 19.02.2015 में तय किया है कि जब पैकिट पर लिखी किसी इबारत से अभिप्राय नही बदलता है तो नमूने में मिस ब्राण्ड का मामला विपक्षी पर नहीं बनता है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 2012(2) एफएसी पेज 74 ऑस्कर जोसेफ व अन्य बनाम सरकार में व अन्य निर्णयों में यह निर्णित किया है कि छोटे अक्षरों में इबारत लिखी हुयी होने पर उक्त नियम की Sufficient Complianc है। जब यह इबारत पैकिट में साफ पढ़ने में आती हो। इसी कारण क्रेता को इससे किसी भी रूप से भ्रम नही होता है और ऐसी सूरत में माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों की रोशनी में नमूने को मिस ब्राण्ड नही माना जा सकता है। Ice Candy Brand Dream Bar Orange Omni का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शुद्वता की जांच हेतु लिया था जो फार्म नम्बर 5क में अंकित किया है। फर्द रिपोर्ट में लेबिल में किसी भी किस्म के मिस ब्राण्ड होने का शक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जाहिर नही किया था। इस कारण से विपक्षीगण के विरूद्व कार्यवाही चल नही सकती है। निवेदन हैं कि विपक्षी के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप कराने की आदेश पारित किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस. /246 /एफएसएसए/2014/256 दिनांक 13.06.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, **Ice Candy Brand Dream Bar Ora**nge Omni निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण मिसब्राण्डेड (MISBRANDED) होना पाया गया। **प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने Ice Candy Brand Dream Bar Orange Omni मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि Contains Permitted Syntheic Food Colour (E-102 & 110) And Added Flavours PRINTED IN SMALL LETTERS VIOLATION of Regulation 2.2.2(5) (ii) (c) food safty and standards (packaging & labelling) Regulations, 2011. का विपक्षी द्वारा उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड Ice Candy Brand Dream Bar Orange Omni का विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी **Ice Candy Brand Dream Bar Orange Omni** जो जॉच में मिस ब्राण्डेड होना पाये जाने से विपक्षी M/s preeti Ice Cream & Foods, G_1/563 Sitapura Industrial Area Tonk Road Jaipur-

302022 के निर्माण व विक्रय करने के लिये दोषी है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 ओर विनिमय 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने से विपक्षी दोषी है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी M/s preeti Ice Cream & Foods, G_1/563 Sitapura Industrial Area Tonk Road Jaipur- 302022 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी M/s preeti Ice Cream & Foods, G_1/563 Sitapura Industrial Area Tonk Road Jaipur- 302022 पर 2,00,000/–रूपये (अक्षरे दो लाख रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 03 माह के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलावाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्रीमति प्रेमलता पत्नि ओमप्रकाश गुप्ता M/s preeti Ice Cream & Foods, G_1/563 Sitapura Industrial Area Tonk Road Jaipur- 302022

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)